न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट अरांई (अजमेर)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति निशा सहारण (आर.ए.एस.)

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 269/2018 (225/2020)

1. काली पत्नी हगामा उम्र 50 साल
2. मनभर पत्नी भागचन्द उम्र 45 साल
3. सरोज पत्नी छगना उम्र 52 साल
4. सुमित्रा पत्नी रामस्वरूप उम्र 37 साल

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

—प्रार्थीगण

बनाम

1. पन्ना वल्द बख्तावर

1/1 भूरी देवी पत्नी स्व. पन्ना

1/2 गोपाल पुत्र स्व. पन्ना

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

1/3 कमला देवी पुत्री स्व. पन्ना पत्नि विश्राम

1/4 मनोहर देवी पुत्र स्व. पन्ना पत्नि नारायण

1/5 सुप्यार देवी पुत्री स्व. पन्ना पत्नि रामस्वरूप

सर्व जाति जाट सर्व निवासी रामपुरा कालातालाब तहसील अरांई जिला अजमेर राज.।

1/6 गणेशी देवी पुत्री स्व. पन्न पत्नि विश्राम जाति जाट निवासी ग्राम छोटा लाम्बा तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

2. श्रवण वल्द बख्ता
3. रामराज पुत्र उगमा
4. भागचन्द पुत्र उगमा

सर्व जाति जाट सर्व निवासी ग्राम दादिया तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

5. भू— धारी तहसीलदार , तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।
6. हगामा
7. भागचन्द
8. छगन
9. रामस्वरूप
10. काली
11. घमला

पुत्रगण/पुत्रियागण स्व. हरजीराम उम्र बालिग जाति जा[illegible] निवासी निवासी ग्राम [illegible] तहसील अरांई जिला अजमेर राज0।

12. सुगना पुत्र स्व. बोदू
13. विश्राम पुत्र स्व. जीवण

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

बदाम पत्नि स्व. जीवण
5. सुरेश पुत्र स्व. जीवण
16. हेमा वल्द स्व. छीतर
17. किशना पुत्र धीरा
18. शिवराज पुत्र धीरा
सर्व जाति जाट निवासी निवासी ग्राम दादिया तहसील अराई जिला अजमेर राज0।

—अप्रार्थीगण

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (क) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

दिनांक: 07.06.2024

उपस्थित: वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर एवं वकील अप्रार्थी श्री गणेश प्रजापति दौराने बहस

निर्णय

1. यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण द्वारा जरिये वकील श्री रामदेव गुर्जर के माध्यम से राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 (क) के अन्तर्गत विरूद्ध अप्रार्थीगण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में जरिये अभिभाषक निवेदन किया किया कि प्रार्थीगण के कब्जे काश्त की भूमि ग्राम दादिया पटवार हल्का दादिया तहसील अराई में स्थित है जिसके वर्तमान खसरा संख्या 961 रकबा 02 बीघा 09 बीस्वा, खसरा संख्या 1019 रकबा 02 बीस्वा, खसरा संख्या 1020 रकबा 11 बीघा 18 बीस्वा कुल किता 03 कुल रकबा 14 बीघा 09 बीस्वा स्थित है जो कि प्रार्थिया के संयुक्त कब्जे व काश्त की खातेदारी भूमि है जिसमें सभी प्रार्थीगणों का 1/4 –1/4 हिस्सा निहित है, उपरोक्त आराजी में गै.मु. रास्ता खसरा संख्या 1023/2 रकबा 05 बीघा 09 बीस्वा जो रास्ता दादिया से मुण्डोवाल जाने वाले रास्ते पर स्थित है प्रार्थियागण खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1019 व 1020 से होते हुये अप्रार्थीगण संख्या 01 से 04 की संयुक्त खातेदारी खसरा संख्या 1018 से होते अपने खसरों में आवागमन करतें है। प्रार्थीगण की आराजी खसरा संख्या 961 में आने जाने हेतु खसरा संख्या 1018 के अतिरिक्त कोई भी लघुत्तम, निकटतम रास्ता उपलब्ध नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अराई (अजमेर)

प्रार्थीगण को अपनी जोत खसरा संख्या 961 में सिचाई तथा आने जाने के लिये खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडा जिसके लिये प्रार्थीगण निर्धारित डी.एल.सी. दर के अनुसार राशि देने के लिये तैयार एवं तत्पर है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थीगण को अपनी कृषि भूमि के उपयोग उपभोग, सिचांई तथा कृषि कार्य हेतु आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडा रास्ता दिलवाने के आदेश फरमाने की कृपा करने का निवेदन किया।

2. अप्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र के नोटिस वास्ते जाहिर करने वजह (Civil Procedure Code Appendix H, Form No. 4) के तहत् नोटिस जारी किये गये। दिनांक 14.06.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 से 04 व 12 से 18 की ओर से जवाब पेश किया गया। जवाब में वकील अप्रार्थी ने जाहिर किया कि अप्रार्थीगण की भूमि खसरा संख्या 1019 व 1020 ग्राम दादिया में स्थित है तथा उक्त भूमि खसरा संख्या 1023/2 रकबा 05 बीघा 09 बीस्वा गै.मु.रास्ता जो कि ग्राम दादिया से मुण्डोलाव जाने वाले रास्ते पर स्थित है तथा इस कथन को प्रार्थीगण ने स्वयं स्वीकार किया है कि उनकी भूमि खसरा संख्या 1019 व 1020 की भूमि गै.मु. रास्ते के पास में स्थित है ऐसी स्थिती में प्रार्थीगण को किसी भी प्रकार के रास्ते की आवश्यकता नहीं है, प्रार्थीगण खसरा संख्या 961 में आवागमन के लिये अप्रार्थी संख्या 01 से 04 की खातेदारी भूमि खसरा संख्या 1018 में से संलग्न नजरी नक्शे में वर्णितानुसार 30 फीट चौडा रास्ता लेने के हकदार नहीं है क्योंकी मौके पर उक्त भूमि में रास्ते के अलामात नजर नहीं आते हैं तथा खसरा संख्या 961 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1023/2 गै.मु. रास्ता जो कि मुण्डोलाव के रास्ते पर स्थित है उक्त रास्ते में से खसरा संख्या 1012 व 1015 की स्थित मेड से होते हुये खसरा संख्या 1006 के कुये पर होते हुये खसरा संख्या 1005 से होते हुये 962 व 961 में आवागमन हेतु पूर्व में ही रास्ता बना हुआ है। श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मय हर्जे खर्चे के खारिज किया जावे।

3. दिनांक 26.07.2019 को अप्रार्थी संख्या 06 से 11 ने जवाब पेश किया जिसमें उनके द्वारा निवेदन किया गया कि यदि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया जावे तो उन्हे स्वीकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

4. दिनांक 03.10.2019 को तहसीलदार अरांई ने जवाब पेश किया जिस पर वकील अप्रार्थी द्वारा आपत्ति पेश की गई। दिनांक 14.02.2020 को उक्त आपत्ति प्रार्थना पत्र को खारिज किया गया। दिनांक 06.01.2023 को तहसील अरांई द्वारा दिनांक 02.12.2024 को की गई आपत्ति प्रार्थना पत्र पर बहस तथा स्वीकार करने के कारण मौका रिपोर्ट पुनः पेश की गई। नवीनतम मौका रिपोर्ट में तहसीलदार अरांई ने जाहिर किया कि ग्राम दादिया के खसरा संख्या 961 में आवागमन के लिये खसरा संख्या 1018 के अतिरिक्त अन्य कोई निकटतम एवं वैकल्पिक मार्ग नहीं है, खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडे रास्ते हेतु अधिग्रहित रकबा 0.0404 हैक्टेयर होगा जिसकी निर्वापित राशि वर्तमान डी.एल.सी. दर 416157/– के अनुसार 16813 /– रूपये होगी जिसकी दुगुना राशि 33626/– अक्षरे तैंतीस हजार छः सौ छब्बीस रूपये होगी। जिसका नजरी मानचित्र भू.अ.नि. दादिया एवं हल्का पटवारी द्वारा अपनी रिपोर्ट के साथ पेश किया है, जो निम्न प्रकार है :–

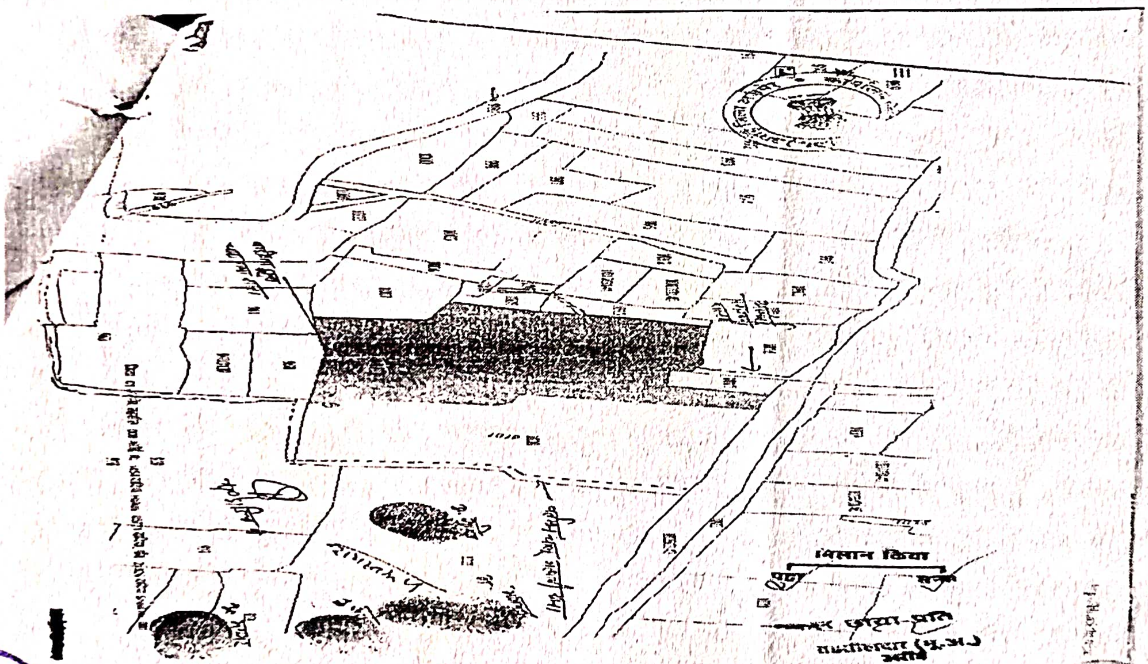

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)

हमारे द्वारा उक्त प्रकरण में वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। जिसमें उनके द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रार्थीगण निर्वापित राशि जमा करवाने को तैयार है श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया जाकर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र एवं बहस पर मनन किया गया। उपरोक्त विवेचन के अनुसार अग्रलिखित आदेश दिये जातें हैः–

–: आदेश :–

प्रार्थी की ग्राम दादिया स्थित खातेदारी भूमि ख0नं0 961 में आवागमन हेतु कोई रिकार्डेड रास्ता उपलब्ध नहीं है अतः रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता सिद्व होती है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ पेश नजरी मानचित्र अनुसार एवं पेरोकार सरकार द्वारा पेश रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी की खातेदारी भूमि ख0नं0 961 में आवागमन ख0नं0 1018 से होना स्पष्ट होता है एवं उक्त रास्ता निकटतम रास्ता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर ग्राम दादिया स्थित कृषि भूमि खसरा संख्या 961 में आवागमन हेतु खसरा संख्या 1018 में से 30 फीट चौडे रास्ते हेतु रिपोर्ट क्रमांक 2034 दिनांक 31.05.2022 के अनुसार 0.0404 हैक्टैयर भूमि अधिग्रहित की जाकर प्रचलित डी0एल0सी0 दर 416157/– के अनुसार 16813 /– रूपये होगी जिसकी दुगुना राशि 33626/– अक्षरे तैंतीस हजार छः सौ छब्बीस रूपये जो प्रार्थी द्वारा सम्बन्धित खसरा नम्बर के खातेदार को तहसीलदार अरांई के माध्यम से देय होगी।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार अरांई को आदेशित किया जाता है कि रास्ते हेतु अधिग्रहित कुल रकबा 0.0404 हैक्टेयर भूमि का मुआवजा राशि 33626/– अक्षरे तैंतीस हजार छः सौ छब्बीस रूपये प्रार्थी द्वारा राजकोष में जमा कराने के पश्चात् आप उक्त रास्ते हेतु अधिग्रहित भूमि रकबा 0.0404 हैक्टेयर भूमि को राजस्व रिकार्ड में नवीन खसरा नम्बर दर्ज करते हुये राजस्व नक्शे में तरमीम करे तथा किस्म रास्ता सिवायचक दर्ज कर प्रार्थी द्वारा जमा राशि खसरा संख्या 1018 के खातेदारान को उनके हिस्से के अनुपात में नियमानुसार वितरित करने की कार्यवाही करावें। रिपोर्ट क्रमांक 2034 दिनांक 31.05.2022 को अन्तिम आदेश का एक भाग माना जावे तथा उसी के अनुसार रास्ते की तरमीम की जावे।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 07.06.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर किये गये। पत्रावली [illegible] नम्बर से कम हो।

Signature Not Verified

Digitally signed by Nisha Saharan
Date: 2024.07.25 12:29:17 IST
Reason: SelfAttested

निशा सहारण (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
अरांई (अजमेर)